National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040
Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 687-690

महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

ऋचा सिंह
शोध छात्रा, सेन्टर फॉर गोल्वलाइजेशन एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

किसी भी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी रूप रेखा तैयार करते है जिसे 'योजना' कहते है। देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास तथा उन्नति के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। पांच वर्ष के बाद यह योजना बदल कर दोबारा बनाई जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य को उचित रूप देने के लिए भारत सरकार ने सन् 1950 में योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री व उपाध्यक्ष योजना मंत्री होता है। योजना आयोग का मुख्य कार्य देश में उपलब्ध साधनो का उचित और उपयुक्त प्रयोग करने के लिए योजनाएं तैयार करना हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से आरम्भ हुई। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है। इन्ही पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई जिसका विवरण निम्नलिखित है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना– (1991 से 56)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना द्वारा महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु कल्याणमूलक विचारधारा पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस बोर्ड ने सामुदायिक विकास के विभिन्न संकलित कार्यक्रमों में महिलाओं के संगठन पर विशेष बल दिया। वास्तव में ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित होकर कार्य करते हुए सामुदायिक विकास के कार्यकर्ता एक 'कैटेलिस्ट' की भूमिका निभा रहे थे। हर संभव प्रयासों द्वारा उनका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचना था। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने ग्रामीण स्वैच्छिक संगठनों में अनेक परिवार व बाल विकास योजनाएं प्रारंभ किया तथा स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) में अधिक दबाव कृषि विकास पर था। इसी समय यह अवधारणा सामने आई कि महिलाओं को श्रम की दृष्टि से अत्यनत कठोर कार्यों के विरूद्ध संरक्षण देना चाहिए और उसे कठिनाइयों का समाधान करने हेतु मातृत्व लाभ तथा शिशुपालन केन्द्र आदि की व्यवसथा की जानी चाहिए। उपरोक्त सभी के द्वारा श्रमिक के रूप में महिलाओं की महत्ता पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। समान कार्य हेतु महिलाओं व पुरूषों को समान वेतन का सिद्धांत तथा उच्च श्रेणी के कार्यों हेतु पुरूष से प्रतिस्पर्धा करने के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी इसमें स्वीकारा गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966) में एक प्रमुख कल्याण मापक के रूप में महिलाओं की शिक्षा को अति आवश्यक माना गया तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों मातृ एवं शिशु कल्याण से संबंधित सेवाओं, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण तथा परिवार नियोजन पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) में भी महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया और पारिवारिक कल्याण (पारिवारिक अत्याचारों से मुक्ति पाने के रूप में) पर ध्यान केन्द्रित किया गया। पहली बार योजना निर्माताओं ने पूर्व विद्यालयीय बालकों का रोग मुक्तीकरण तथा बच्चों के लिए भोजन जैसे मुद्दों की महत्ता को स्वीकार किया।

पंचम पंचवर्षीय योजना (1974–79)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) में महिलाओं की आय व उनके संरक्षण को त्वरित गति से बढ़ाने हेतु महिलाओं के प्रशिक्षण पर विशेष एवं अधिकतम बल दिया गया। महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम की सिफारिश की गई। जिसमें बाल सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा गृह अर्थव्यवस्था आदि के कौशलों व ज्ञान से महिलाओं को परिपूर्ण किया जाए। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत में महिलाओं की स्थिति की रिपोर्ट संसद में पेश किया जाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दशक की घोषणा रही। इन दोनों विकासात्मक घटनाओं ने महिलाओं में विकास के लिए निर्णायक आगत के रूप में कल्याणवाद से विकास की ओर परिवर्तन के रूप में और एक समूह के रूप में जो कि प्रत्येक आर्थिक हस्तान्तरण की प्रक्रिया से प्रभावित होता है, महिलाओं में नई चेतना जागृत की। सी.एस.डब्ल्यू.आई. रिपोर्ट की एक प्रमुख उपलब्धि 1976 की राष्ट्रीय कार्य योजना का सूत्रपात था जिसने महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्य योजना के अनुसार महिलाओं के विकास के लिए रूपरेखा प्रदान की थी। इस कार्य योजना ने भारत में महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए स्वास्थ्य व परिवार नियोजन, शिक्षा, पोषण, रोजगार, व्यवस्थापन व समाज कल्याण के क्षेत्रों को पहचाना। इस योजना की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत महिला कल्याण व विकास ब्यूरों की स्थापना थी। इस ब्यूरों का उत्तरादायित्व आवश्यकता नीतियों, और मापों आंकड़ों के एकत्रीकरण, महिला–कल्याण कार्यक्रमों का नियमन तथा नेतृत्व, सी.एस. डब्ल्यू. बी. की सिफारिशों का अनुकरण, वित्तीय व भौतिक उद्देश्यों हेतु कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के साथ सरकारी मंत्रालयों के बहुउद्देश्यीय कार्यक्रमों का संयोजन व संबंध स्थापित करने का है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)

1977–78 में पंचवर्षीय योजना के लिए अभ्यास के रूप में सरकार ने महिलाओं के रोजगार के आधार पर कार्य समूहों की नियुक्ति की। इस प्रयास के अंश के रूप में कृषि व ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी तथा ग्राम स्तरीय संगठनों पर दो आलोचनात्मक रिपोर्ट तैयार की गई थीं। यह योजना निःसंदेह ही 1975 की सी.एस.डब्ल्यू.आई. (CSWI) रिपोर्ट द्वारा प्रभावित थी। इसमें पहली बार महिलाओं के लिए कल्याण के स्थान पर विकास के रूप में परिवर्तन देखा गया। इस योजना ने सामाजिक न्याय की अवधारणाओं के अग्रदूत का कार्य किया। इसी योजना में महिलाओं के विकास को अवरूद्ध करने वाले निर्णायक तत्व के रूप में महिलाओं तक साधन न पहुँच पाने की कमी का अनुभव किया गया। पुरूषों व महिलाओं को सम्मिलित रूप से पट्टा आदि के दिलाने के कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया। योजना में येन–केन–प्रकारेण महिलाओं की समस्याओं का उल्लेख किया गया व विकास संरचना के सुझाव दिये गये।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं संबंधित कार्य हेतु अनेक मार्ग खोलने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। उनके अधिकारों तथा विशेष अधिकारों के बारे में चेतना जागृत करने पर प्रकाश डाला गया तथा उन्हें देश के विकास के लिए एक निर्णायक स्रोत मानकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मुख्य प्रवाह में उनके संगठन व एकता को लक्ष्य बनाया गया। इस योजना की दूसरी मुख्य विशेषता महिलाओं को निर्णायक साधनों तथा उत्पादक स्रोतों के रूप में मान्यता देना था। यद्यपि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के भाग के रूप में महिलाओं के योगदान के रूप में उनके कार्यों की गणना नहीं की गई, किन्तु इस दृष्टि से अदृश्य क्षेत्रों का भी मानवीकरण एक महत्वपूर्ण शुरूआत थी। इस योजना में महिलाओं के उत्पादक प्रयत्नों की अनुशंसा की गयी।

योजना आयोग द्वारा स्त्रियों के विकास हेतु तीन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।

1. शिक्षा
2. स्वास्थ्य और
3. कल्याण

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95)

सांतवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं से सम्बन्धित कई नीतियाँ एवं कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान किया गया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी महिलाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया, परन्तु इस पंचवर्षीय योजना में नीति निर्माण से अधिक इस बात पर बल दिया गया कि जो पूर्व में योजनायें बनायी गयी हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं तथा यह देखने का प्रयास किया गया कि बनायी गयी नीतियों का फायदा महिलाओं को मिल रहा है या नहीं। कह सकते है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में मॉनिटरिंग के कार्य को प्रमुखता दी गयी। ऑठवीं पंचवर्षीय योजना में चूंकि वैश्विक परिदृश्य बदल रहा था और भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया जोर पकड़ रही थी, और जिसका असर भारत पर भी पड़ा और भारत में भी 1990 के दशक से उदारीकरण, औद्योगिकीकरण तथा भूमण्डलीकरण की प्रक्रियाओं ने जोर पकड़ा और जिसका परिणाम यह हुआ कि जो Public Sector था वह Secondary हो गया है और Private Sector सरकार की प्राथमिकता में शामिल हो गया, परिणामतः सरकार का लोक कल्याणकारी, स्वरूप का ह्रास होना शुरू हो गया, जिसका परिणाम महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर भी पड़ा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

नौवीं पंचवर्षीय योजना स्त्री सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के काल में स्त्री सशक्तिकरण वर्ष, 2001 को घोषित किया गया। जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान किये गये जिससे महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें साथ ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सके। इसी उद्देश्य के तहत 'Women Component Plan' तैयार किया गया। इसी योजनाकाल में 'National Policy for Empowerment of Women' लायी गयी जिसमें स्त्री के विरूद्ध सभी प्रकार भेदभाव मिटाने के प्रयास किया गया और लैगिंक समानता का दावा किया गया। इसके तहत सरकार ने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की वह लैंगिग समानता के लिये प्रतिबद्ध है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 'महिला सशक्तिकरण' के दृष्टिकोण से इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना में न केवल समानता बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया और ऐसी नीतियाँ तैयार की गयी। जिसमें महिलाओं के आर्थिक पक्ष को मजबूत किया जा सके और इसी योजना में 'Gender Budgeting' की संकल्पना को अपनाया गया। जिसमें की बजट में लैंगिक विषमता को समाप्त करने तथा महिलाओं के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिये अलग से प्रावधान होता है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया कि महिलाओं को विकास और सामाजिक परिवर्तन का एजेंट समझकर उनको सशक्त करना होगा। जिसके लिये निम्नलिखित तरीकों पर ध्यान दिया गया।

1. 'महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति' में यह कहा गया कि महिलाओं के लिये ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे महिलाओं के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग किया जा सके, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। साथ ही महिलाओं को पुरूषों के बराबर का दर्जा उपलब्ध कराया जा सके।
2. इस योजना में संसद में महिलाओं को 1/3 सीटों के आरक्षण का विधेयक लाया गया ताकि निर्णय में उनकी भागीदारी स्थापित की जा सके।
3. इसमें एक विशेष तरीका अपनाया गया जिसे 'Women's Component Plan' कहा गया जिसके तहत यह प्रावधान किया गया विकास क्षेत्र में किये जाने वाले व्यय का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित किया जायेगा।
4. और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये 'महिलाओं स्वयं सहायता समूहों' का निर्माण किया गया जो महिला सशक्तिकरण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम था।
5. बालिकाओं की शिक्षा तक आसान तथा समान पहुँच हो सके इसके लिए 1998 में 'Special Women Action Plan' का निर्माण किया गया।
6. लड़कियों की उच्च शिक्षा तथा तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखकर कई कार्यक्रम चलाये गये।
7. और एक अति महत्वपूर्ण कार्य के तहत जिसमें महिलाओं को आसान किश्तों पर तथा आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सके इसके लिये 'Development Bank For Women Entrepreneurs' का निर्माण किया गया।

इस तरह हम देखते हैं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में महिला

सशक्तिकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कदम उठाये।

10. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)

दसवीं पंचवर्षीय योजना में 'National Policy for Women Empowerment' को Action में लाया गया अर्थात् नौवी पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण की जिस नीति का निर्माण किया गया था उसका क्रियान्वयन 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। इस योजना में महिला सशक्तिकरण से जुड़े वैधानिक प्रावधानों को मजबूती दी गयी और 'Gender Prospective' को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। क्योंकि यह माना गया कि अगर लैंगिक दृष्टिकोण' को मुख्यधारा में लाकर ही महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के मानवाधिकार को लागू करने अर्थात् महिलाओं के मानवाधिकार का हनन न हो इसके लिए कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी ताकि महिलाएँ भी अपने स्वतंत्रता व समानता जैसे अधिकारों का प्रयोग कर अपने जीवन को सम्मान से जी सके। ये वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या 495.74 मिलियन है और इस देश की आबादी का 48.3 प्रतिशत है। एक प्रक्रिया के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये जीवन चक्र अवधारणा आवश्यक हैं। अतः योजना बनाने की प्रक्रिया में उनके जीवन की प्रत्येक अवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है। जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य शामिल थे–

1. 0–14 वर्ष आयु समूह की बालिकाओं जिनकी संख्या 171.50 मिलियन है पर उनके लिंग भेद और अल्पव्यस्क आयु में उनके प्रति होने वाले भेदभाव के कारणों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
2. 15–19 वर्ष आयु–समूह की नवकिशोरियाँ है, जिनकी संख्या 52.14 मिलियन है, योजना बनाने के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील है, अतः उनके लिये विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया।
3. 45–59 वर्ष आयु समूह की आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं, जिनकी संख्या 289.40 मिलियन है कि शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, आय सृजन और विकास प्रक्रिया में सहभागिता आदि सुनिश्चित हो सके इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए 2001 में अपनायी गयी महिला सशक्तिकरण की नीति दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत आती है।

निम्नलिखित प्रमुख नीतियां एवं प्रावधान के लिये उपाय सुझाये गये जो निम्न हैं–

1. महिलाओं के विकास के लिये सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से वातावरण तैयार करना ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता हासिल कर सकें।
2. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों के समतुल्य सभी मानवाधिकार और मूलभूत स्वातंत्रता हासिल करने के लिये विधितः और वस्तुतः माहौल तैयार करना।
3. महिलाओं के लिये 'राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन में' निर्णय लेने और प्रतिभागिता करने में पुरूषों के समान पहुंच सुनिश्चित करना।
4. स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर अच्छी शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक पद आदि के लिये महिलाओं की समान पहुँच सुनिश्चित करना।
5. महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिये लक्षित विधिक प्रणाली को मजबूत करना।
6. लिंग परिपेक्ष्य को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल करना।
7. नागरिक समितियों, विशेष रूप से महिला संगठनों और निजी क्षेत्र की एजेंसियों के साथ हिस्सेदारी को मजबूत करना। दसवीं योजना में उपर्युक्त कार्यक्रमों पर जोर दिया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा इसमें भी महिला सशक्तिकरण की उस कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया जिससे की विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके इस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस ओर भी ध्यान देना शुरू किया कि महिला एवं बच्चों को एक ही समूह में रखकर विकास का दृष्टिकोण विकसित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों समूह निसंदेह रूप से एक दूसरे से जुड़े एवं एक–दूसरे पर आश्रित है परन्तु फिर भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये कुछ अलग शर्ते हैं, जिन्हें की पूरा किया जाना आवश्यक है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि लिंग को एक अन्य मूल विषय के रूप में देखते हुए इन समस्याओं का समाधान करना होगा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं के साथ किये जाने वाले अनेक प्रकार के बहिष्कारों एवं भेदभाव को समाप्त करना एवं सुनिश्चित करना की प्रत्येक महिला अपनी पूरी क्षमता तक विकास करने में सक्षम हो। इस योजना में लैंगिक परिवेश को ध्यान में रखा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं को न केवल समान नागरिकों बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति के अभिकर्त्ता के रूप में स्वीकार किया गया। लिंग समानता का दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि महिलाओं के पक्ष में हस्तक्षेप बहुआयामी होना चाहिए जिसके निम्नलिखित लक्ष्य सुनिश्चित किए गए–

1. महिलाओं के मूलभूत हक सुनिश्चित होने चाहिए।
2. आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता प्रदान कर वैश्वीकरण की यथार्थता से उसका समायोजन होना चाहिये।
3. महिलाओं के विरूद्ध शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार की हिंसाओं से मुक्त वातावरण सुनिश्चित होना चाहिए।
4. उच्चतम नीतिगत स्तरों पर विशेषकर संसद और विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी और पर्याप्तता प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
5. महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और प्रभावी नीति कार्य वहन के लिए विद्यमान संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना चाहिये और नई प्रणालियों को सृजित करना चाहिये।

इस तरह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण से संबंधित उक्त प्रावधान किये गये।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)–

बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान पंचवर्षीय योजना है। इस योजना में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों एवं नीतियों का निर्माण किया गया। जिसमें की लक्ष्यित किया गया। 'Women's Agency and engendering of development' इस योजना में भी कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये गये जो कि निम्नलिखित हैं–

1. इस योजना में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2. इस योजना में महिलाओं से संबंधित सामाजिक एवं भौतिक

संरचना को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है।

3. साथ ही व्यावस्थापिक में महिलाओं की सहभागिता को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। जिसके लिये पंचायतों में उनकी स्थिति और मजबूत करने पर बल दिया जा सकता है।
4. महिलाओं की भागीदारी को Governance में बढ़ना।
5. सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता को शामिल करना।
6. राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों को engendering बनाना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को क्योंकि विशेष ध्यान में रखा गया है इसलिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि महिलाओं की रोजगार गतिशीलता को सभी सेक्टर चाहे वो संगठित हो या असंगठित में बढ़ाया जाये तथा ऐसी सुविधायें महिलाओं को उपलब्ध करायी जाए जिससे वे 'स्वासशक्तिकरण' कर सकें अर्थात् उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। इस योजना में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा कि कैसे द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में भी महिला श्रम बल की सहभागिता एवं पहुँच को बढ़ाया जाय और साथ ही कैसे यह सुनिश्चित किया जाये की Land and Property Right में उनकी बराबर की हिस्सेदारी हो, वित्तीय समावेषन में उनको शामिल किया जाये।

सन्दर्भ

1. भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ, भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट।
2. भारत, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (2009), भारत की जनगणना 2011
3. योजना आयोग लिंग और कृषि सम्बन्ध उपसमूह की रिपोर्ट 2007।
4. आर्य साधना, मेनन निवेदित, लोकनीता जिनी, 2001, नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
5. डॉ0 रानी, आशु, 1997, महिला विकास कार्यक्रम, विश्वभारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. खेतान, प्रभा, 2004, बाजार के नीच, बाजार के खिलाफ; भूमण्डलीकरण और स्त्री के प्रश्न, नई दिल्ली।
7. जैतली ममता, शर्मा श्री प्रकाश, 2006, आधी आबादी का संघर्ष, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
8. बागड़ी, डालचन्द्र, 2009, भारतीय अर्थव्यवस्थ, अर्जुन पब्लिशिंग नई दिल्ली